

भारतीय बैंक न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10

TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

शोधपत्र

07AA 458058

सहायक कोषाधिकारी सिकंड
कोषाधिकारी, देहरादून
सं. 24 DEC 2007
मिडिल किया
कॉड सं. 001

संबंध :- शोधपत्र अर्थात् अर्थशास्त्र विभाग निदेश सं. 10/2007
द्वारा जारी किए गए शोधपत्रों में से एक शोधपत्र
शोधपत्र सं. 10/2007 का शोधपत्र अर्थात् अर्थशास्त्र विभाग निदेश सं. 10/2007
द्वारा जारी किए गए शोधपत्रों में से एक शोधपत्र
शोधपत्र सं. 10/2007 का शोधपत्र अर्थात् अर्थशास्त्र विभाग निदेश सं. 10/2007

DEPARTMENT
DIRECTOR
INDIAN ACADEMY
DEHRADUN

1. यहाँक शोधकर्ता का नाम व पता सही है।
2. यह कि यह विधालय राजता संख्या 64/1/010/01/1/2007
दिनांक-26. जून 2007 में दिये गये निम्नलिखित प्रतिबन्ध व से उ तक पालन
करेगा।



क- उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को शामिल करके इण्डियन
सकुल सर्टिफिकेट एकाडमिनेशन सेंटरल कीर्ड आफ सेट्टेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली से
सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्डों द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों का
अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

- ख- विधालय की पंजीकृत सौझायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- ग- विधालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होंगा।
- घ- विधालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
के भेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा
परिषद्/बसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संयोजित विधालयों में विभिन्न कक्षाओं के

लिये निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

ड-संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विधालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विधालय की सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशनल नई दिल्ली कौंसिल फॉर इण्डियन

सार्टिफिकेट रजामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद् से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद् से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

च- संस्था के शिक्षण तथा शिक्षित्तर कर्मचारियों को राश्रीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतन मान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

ख- विधालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और इन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विधालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

ग-राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

घ-विधालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

द-उक्त शर्तों में बिना शासनके पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

दिनांक-29.12.2009

अपथकता.....

DIRECTOR
THE INDIAN ACADEMY
GURGAON

This affidavit is sworn before me by
Shri. मनेन्द्र शर्मा
who is identified by Shri.
at Dehradun on 29/12/09

Smt. Vijaya Luxmi Shukla
Advocate & Notary, D Dur